न्यायालय, श्री राकेश कुमार–III, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।

उपस्थिति :– राकेश कुमार–III,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।
सत्र वाद संख्याः–145 / 2020
रजिस्ट्रेशन नं0:–83/2021
निर्णय की तिथिः–15.07.2026

➢ प्राथमिकी भीमपुर थाना कांड संख्या–51 / 2020, दिनांक 27.06.2020	
सूचक	रामदेव राय, पे0–स्व0 रामेश्वर राय, सा0–चैनपुर वार्ड नं0–02, थाना–भीमपुर, जिला–सुपौल।
राज्य की ओर से	मो0 अब्बु जफर, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. प्रदुमन कुमार, उम्र–32 वर्ष, पिता–श्यामदेव राय 2. श्यामदेव राय, उम्र–61 वर्ष, पिता–स्व0 रामेश्वर राय 3. गुड्डु कुमार, उम्र–26 वर्ष, पिता–शिवकुमार राय 4. त्रिभुवन राय, उम्र–36 वर्ष, पिता–श्यामदेव राय सभी साकिन–चैनपुर, थाना–भीमपुर, जिला–सुपौल।
बचाव पक्ष की ओर से	विद्वान अधिवक्ता, श्री राहुल कुमार

FORM-B

➢ घटना की तिथि	26.06.2020
➢ प्राथमिकी की तिथि	27.06.2020
➢ आरोप पत्र की तिथि	17.09.2020 एवं 28.12.2020
➢ आरोप गठन की तिथि	20.10.2020 एवं 16.03.2021
➢ साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	31.05.2023
➢ निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	15.07.2026
➢ निर्णय की तिथि	15.07.2026

अभियुक्तों का विवरण

SL. No.	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत की तिथि	धारा में आरोप गठन	दोषसिद्धि या दोष मुक्ति	दिया गया दंड	द0प्र0स0 की धारा–428 के लिए विचारण के दौरान कारा में बितायी गयी अवधि
1.	प्रदुमन कुमार	17.12.20	17.12.20	धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 325 / 34, 307 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	श्यामदेव राय	28.06.20	20.10.20		दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	गुड्डु कुमार	17.12.20	17.12.20		दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	त्रिभुवन राय	17.12.20	17.12.20		दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं

Form-C

अभियोजन साक्षीः–

क0सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकृति
अ0 साक्षी–01	रंजीत कुमार राय	पक्षद्रोही साक्षी
अ0 साक्षी–02	विजेन्द्र राय	पक्षद्रोही साक्षी
अ0 साक्षी–03	सुदामा देवी	जख्मी साक्षी
अ0 साक्षी–04	रामदेव राय	जख्मी सह सूचक

Form-D

बचाव साक्षीः–

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकृति
––	––	––

Form-E

न्यायालय साक्षी, यदि कोईः–

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकृति
––	––	––

परिवादी/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची।

अभियोजन की ओर से प्रदर्श सूचीः–

क्र0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
––	––	––

बचाव–पक्ष की ओर से प्रदर्श सूचीः–

क्र0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
––	––	––

न्यायालय प्रदर्श सूचीः–

क्र0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
––	––	––

तात्विक प्रदर्श सूचीः–

क्र0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
––	––	––

::निर्णय::

01. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण यथा 1. प्रदुमन कुमार, 2. श्यामदेव राय 3. गुड्डु कुमार एवं 4. त्रिभुवन राय के विरुद्ध धारा–341/34, 323/34, 324/34, 325/34, 307/34, 504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप के लिए विचारण किया गया है।

02. यह मामला भीमपुर थाना कांड संख्या–51/2020 अन्तर्गत धारा– 341/34, 323/34, 324/34, 325/34, 307/34, 504/34 भा0द0वि0 के तहत दर्ज है। लिखित आवेदन में संक्षेप में कथन है कि दिनांक 26.06.2020 रोज शुक्रवार सुबह लगभग 9 बजे दिन में साझी में एक पेड़ आम का था जिसे जोर–जबरदस्ती श्यामदेव राय काटना चाह रहा था। उसी पर हम रोक लगाए उसी पर 1. त्रिभुवन कुमार, 2. प्रदुवन कुमार उर्फ बासु, 3. गुड्डु कुमार ने मेरे पुत्र संजीत कुमार राय को कुल्हाड़ी एवं रड से बुरी तरह जख्मी कर दिया जो फिलहाल नेपाल के न्यूरो हॉस्पीटल में I.C.U. में भर्ती है जो जिन्दगी से जुझ रहा है, मुझे 4. श्यामदेव राय वो 5.

बलराम राय दोनों कुल्हाड़ी एवं रड से प्रहार किया जिससे बुरी तरह जख्मी कर दिया। मेरा छोटा भाई विष्णुकान्त राय एवं इनके पत्नी सुदामा देवी को 1. शिव कुमार वो 2. पप्पु राय वो 3. मनीष कुमार ने मारपीट किया जिसमें सुदामा देवी का हाथ टुट गया। यह घटना पूर्व से नियोजित किया गया था, जिसके तहत हुआ है। सभी जान से मारने के नियत से यह घटना किया गया है। सभी जख्मीयों का प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र नरपतगंज में इलाजोपरांत बेहतर ईलाज के लिए संजीत कुमार को रेफर कर दिया गया।

अन्वेषण, आरोप पत्र, संज्ञान

03. उपरोक्त सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर भीमपुर थानाध्यक्ष के द्वारा प्रथम इत्तिलाई सूचना मानते हुए भीमपुर थाना कांड संख्या–51 / 2020 अन्तर्गत धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 325 / 34, 307 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज करते हुए अनुसंध ानकर्त्ता के द्वारा अनुसंधानोपरांत एक अभियुक्त श्यामदेव राय के विरुद्ध आरोप–पत्र संख्या–40 / 2020 तथा शेष अभियुक्तगण 1. त्रिभुवन कुमार उर्फ त्रिभुवन राय, 2. प्रदुमन उर्फ बासु एवं 3. गुड्डु के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–56 / 2020, धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 325 / 34, 307 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, सुपौल के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध ध ारा–341 / 323 / 324 / 325 / 307 / 504 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान ले लिया गया।

04. प्रस्तुत वाद दिनांक 25.02.2021 के आदेश से सत्र न्यायालय में दौरा–सुपूर्द किया गया। प्रस्तुत वाद स्थानान्तरण के क्रम में विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को अंततोगत्वा प्राप्त हुआ।

आरोप

05. प्रस्तुत वाद में दिनांक 20.10.2020 को अभियुक्त श्यामदेव राय एवं दिनांक 16. 03.2021 को अभियुक्तगण 1. त्रिभुवन कुमार उर्फ त्रिभुवन राय, 2. प्रदुमन कमार उर्फ वासु एवं 3. गुड्डु राम के विरूद्ध धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 325 / 34, 307 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया तथा अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे अभियुक्तों ने सुनकर निर्दोष बताया और वाद विचारण का दावा किया।

06. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन, अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे है अथवा नहीं?

साक्ष्य का विश्लेषण (APPRECIATION OF EVIDENCE)

07. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में कुल–04 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जो अभियोजन साक्षी संख्या–1 रंजीत कुमार राय, अभियोजन साक्षी संख्या–2 विजेन्द्र राय, अभियोजन साक्षी संख्या–3 सुदामा देवी एवं अभियोजन साक्षी संख्या–4 रामदेव राय (सूचक) है।

बचाव–पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 रंजीत कुमार राय हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में हम कुछ नहीं जानते है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ

था। आज न्यायालय में मुदालय श्यामदेव राय उपस्थित है, पहचानते है। अन्य मुदालय को देखकर पहचान लेंगें।

अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन के द्वारा प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के समक्ष बयान में कहे थे कि मुदालय लोग आम के पेड़ को लेकर झंझट हुआ था जिसके कारण मेरे भाई और मेरे पिताजी को मारपीट कर जख्मी कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि मुदालय से मिलकर उसे बचाने के लिए न्यायालय में झुठी गवाही दिये है।

आगे **बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण** में इन्होंने कथन किया है कि मुदालय लोग आपस में दियाद है। जमीन जगह को लेकर विवाद है। मुदालय लोग मेरे दियाद है, इसलिए पहचानते है। इसके अलावा अन्य कोई उल्लेखनिय बात नहीं बताए हैं।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 विजेन्द्र राय हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में हम कुछ नहीं जानते है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। आज न्यायालय में मुदालय श्यामदेव राय उपस्थित है, पहचानते है। अन्य मुदालय को देखकर पहचान लेंगें।

अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन के द्वारा प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के समक्ष बयान में कहे थे कि रामदेव राय को श्यामदेव राय, प्रदुमन राय, त्रिभुवन राय सभी मिलकर मारपीट कर रहे थे तो हल्ला सुनकर ग्रामीण लोग भी गये और बीच बचाव किये तथा मुदालय लोग रामदेव राय, रंजीत राय, सुदामा देवी को मारपीट कर जख्मी कर दिये। ऐसी बात नहीं है कि मुदालय लोगों से मिलकर उसे बचाने के लिए न्यायालय में झूठी गवाही दे रहे है।

आगे **बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण** में इन्होंने कथन किया है कि मुदालय लोग मेरे ग्रामीण है, इसलिए पहचानते है। इसके अलावा अन्य कोई उल्लेखनिय बात नहीं बताए हैं।

अभियोजन साक्षी संख्या–3 सुदामा देवी, जो प्रस्तुत काण्ड के जख्मी साक्षी है तथा इन्हा. ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दो वर्ष पहले की 11–12 बजे दिन की है। उस समय हम खाना बना रहे थे। आम के पेड़ को लेकर रामदेव राय को श्यामदेव राय, बलराम राय तथा शिव कुमार राय के साथ बाताबाती एवं मारपीट होने लगा। मैं भी बचाने गयी तो मैं भी जख्मी हो गयी। ग्रामीण लोग आये और बीच बचाव किये और झगड़ा शांत करा दिये। मुदालय श्यामदेव राय न्यायालय में उपस्थित है, पहचानते है। अन्य मुदालय को देखकर पहचान लेंगें।

आगे **बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण** में इन्होंने कथन किया है कि आम गाछ को लेकर बहुत लंबा समय से विवाद चल रहा है। हो हल्ला हुआ और भगदड़ हो गयी, उसी में हमें भी चोट लगी थी। हम किसी को मारपीट करते नहीं देखे। कौन किसको क्या किया नहीं किया, हमें जानकारी नहीं है। लोग सब आये और झगड़ा शांत करा दिये। आम का गछा कटा हुआ, उसी गाछ में सभी को खरोंच लगा था, उसी से लोग जख्मी हुए थे। उभय पक्ष के बीच मेल व सुलह हो गया है। मुदालय श्यामदेव राय मेरे भैंसुर है, इसलिए पहचानते है। इसके अलावा अन्य कोई उल्लेखनिय बात नहीं बताए हैं।

अभियोजन साक्षी संख्या–4 रामदेव राय हैं, जो प्रस्तुत काण्ड के सूचक है तथा इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह केस मैंने किया है। घटना 6 साल पहले की 9 बजे दिन की है। उस समय आम के गाछ को लेकर हमलोगों में झंझट हुआ था। मुदालह लोग आम के पेड़ को काट रहे थे उसी पर मैंने रोका था तो झगड़ा हुआ था। श्यामदेव राय, परदुमन कुमार, त्रिभुवन, गुड्डु कुमार और बलराम राय ये सभी मिलकर मेरे बेटे संजीत राय को कुल्हाड़ी एवं रड से मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिए। मैंने अपने बेटे को नरपतगंज अस्पताल में भर्ती किया था। मेरा छोटा भाई विष्णुकांत राय और उसकी पत्नी सुदामा देवी, शिव कुमार राय, पप्पु राय और मनीष कुमार इनलोगों के साथ भी मुदालह लोग मारपीट किए थे। इन सभी का भी ईलाज हुआ था। इसी बात को लेकर मैंने थाना में आवेदन दाखिल करवाया और उसपर मैंने अपना अंगुठा का निशान लगाया। आज न्यायालय में अभियुक्त श्यामदेव राय उपस्थित हैं, पहच. ानता हूँ।

आगे **बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण** में इन्होंने कथन किया है कि भीड़भाड़ के कारण मैं यह नहीं देख पाया कि किस व्यक्ति को किसके द्वारा चोट पहुँचाया गया। मैं यह भी नहीं बता सकता हूँ कि कौन–कौन व्यक्ति किस प्रकार से जख्मी हुआ। घटनास्थल पर लकड़ियों का ढेर था और भगदड़ मचने के कारण लोग गिर गए। मुदालह लोग मेरे सगे भाई–भतीजा वगैरह हैं और इनलोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुदालह लोगों द्वारा जो केस किया गया था उसमें भी मेल–मिलाप हो गया है और इस केस में भी हमलोगों में आपस में मेल–मिलाप हो गया है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो आवेदन मुझे दिया गया था वह मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था जिसपर मैंने सिर्फ अपना अंगुठा का निशान लगाया था। मैं अब यह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूँ और इसे बंद कर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा अन्य कोई उल्लेखनिय बात नहीं बताए हैं।

अभियुक्तगण का बयान

08. प्रस्तुत वाद में दिनांक 23.06.2026 को अभियुक्तों का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने–आप को पुनः निर्दोष बताया।

अभियोजन पक्ष का बहस और तर्क

09. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने बहस के क्रम में कहा गया है कि अभियोजन की ओर से कुल चार साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें सूचक सहित तीन अन्य साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सूचक एवं जख्मी साक्षी सुदामा देवी के अलावा अन्य साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है जबकि सूचक एवं जख्मी साक्षी सुदामा देवी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किया गया है, जो घटना को साबित करता है। अतः अभियुक्तों को दोषसिद्ध किये जाने की निवेदन करते हैं।

बचाव–पक्ष का बहस और तर्क

10. बचाव–पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की ओर से कुल–4 साक्षीगण का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या 1 एवं 2 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, इन्होंने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में ही कथन किया है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि हो हल्ला हुआ और भगदड़ हो गयी, उसी में हमें भी चोट लगी थी। हम किसी को मारपीट करते नहीं देखे। कौन किसको क्या किया नहीं किया, हमें

जानकारी नहीं है। आम का गछा कटा हुआ, उसी गाछ में सभी को खरोंच लगा था, उसी से लोग जख्मी हुए थे। उभय पक्ष के बीच मेल व सुलह हो गया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 4, जो प्रस्तुत वाद के सूचक हैं, ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि भीड़भाड़ के कारण मैं यह नहीं देख पाया कि किस व्यक्ति को किसके द्वारा चोट पहुँचाया गया। मैं यह भी नहीं बता सकता हूँ कि कौन–कौन व्यक्ति किस प्रकार से जख्मी हुआ। घटनास्थल पर लकड़ियों का ढेर था और भगदड़ मचने के कारण लोग गिर गए। मुदालह लोग मेरे सगे भाई–भतीजा वगैरह हैं और इनलोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुदालह लोगों द्वारा जो केस किया गया था उसमें भी मेल–मिलाप हो गया है और इस केस में भी हमलोगों में आपस में मेल–मिलाप हो गया है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो आवेदन मुझे दिया गया था वह मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था जिसपर मैंने सिर्फ अपना अंगुठा का निशान लगाया था। मैं अब यह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूँ और इसे बंद कर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः बचाव पक्ष का निवेदन है कि अभियुक्तों को लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाय।

मंतव्य

11. अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 325 / 34, 307 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिसमें धारा–341 / 34, 323 / 34, 325 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0 शमनीय प्रकृति का है। सुलहनामा आवेदन पत्र एवं इजाजतनामा दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित कर दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में धारा–341 / 34, 323 / 34, 325 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0 के संदर्भ में सुलहनामा आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। जबकि धारा–324 / 34 एवं 307 / 34 भा0द0वि0 अशमनीय प्रकृति का है, ऐसी परिस्थिति में इन दोनों धाराओं में गुण एवं दोष के आधार पर निर्णय लेना न्यायोचित है। अभियोजन ने इस मामले में चार साक्षियों का परीक्षण कराया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1 एवं 2 को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है तथा इन सभी ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि हो हल्ला हुआ और भगदड़ हो गयी, उसी में हमें भी चोट लगी थी। हम किसी को मारपीट करते नहीं देखे। कौन किसको क्या किया नहीं किया, हमें जानकारी नहीं है। आम का गछा कटा हुआ, उसी गाछ में सभी को खरोंच लगा था, उसी से लोग जख्मी हुए थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 4, जो प्रस्तुत वाद के सूचक हैं, ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि भीड़भाड़ के कारण मैं यह नहीं देख पाया कि किस व्यक्ति को किसके द्वारा चोट पहुँचाया गया। मैं यह भी नहीं बता सकता हूँ कि कौन–कौन व्यक्ति किस प्रकार से जख्मी हुआ। घटनास्थल पर लकड़ियों का ढेर था और भगदड़ मचने के कारण लोग गिर गए। मुदालह लोग मेरे सगे भाई–भतीजा वगैरह हैं और इनलोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो आवेदन मुझे दिया गया था वह मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था जिसपर मैंने सिर्फ अपना अंगुठा का निशान लगाया था। मैं अब यह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूँ और इसे बंद कर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में

अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये धारा–324 / 34 एवं 307 / 34 भा0द0वि0 के आरोपों को साबित करने में असफल रहे हैं।

12. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, मौजूद साक्ष्य, उभय पक्ष के मध्य हुए संधि एवं साक्ष्य के आभाव में न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहे हैं। इसलिए अभियुक्तों को धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 325 / 34, 307 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्ति पाने का हकदार है।

:आदेश:

अभियुक्तगण यथा 1. प्रदुमन कुमार, 2. श्यामदेव राय 3. गुड्डु कुमार एवं 4. त्रिभुवन राय को धारा–341 / 34, 323 / 34, 325 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0 के आरोपों से सुलह के आधार पर एवं धारा–324 / 34 एवं 307 / 34 भा0द0वि0 के आरोपों से साक्ष्य के आभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। तद्नुसार उनके और उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार, सुपौल में जमा करें।

मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धिकृत्य एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित।

लेखापित

(राकेश कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।
15.07.2026

(राकेश कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।
15.07.2026